भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं० 670

दिनांक 17.12.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था

670. श्री विजय पाल सिंह तोमरः

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में स्वच्छ पेयजल की अनुपलब्धता की समस्या बनी हुई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कारण क्या हैं;
(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी-कितनी धनराशि स्वीकृत/व्यय की गई;
(घ) क्या सरकार पेयजल के उद्देश्य से स्वच्छ जल प्रदान करने के लिए किसी मिशन पर काम कर रही है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

(श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी)

(क) और (ख) ग्रामीण जल आपूर्ति राज्य का विषय है। यह मंत्रालय सभी ग्रामीण बसावट में सुरक्षित पेयजल के कवरेज के लिए राज्य सरकार के प्रयासों में उनको तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। राज्य सरकारों को ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति स्कीमों की योजना बनाने, डिजाइनिंग करने, कार्यान्वित करने की शक्ति प्राप्त है। राज्य सरकारें किसी क्षेत्र में उपलब्ध सुरक्षित जल स्रोतों के अपने मूल्यांकन के आधार पर ग्रामीण पेयजल आपूर्ति स्कीमों की योजना बनाती हैं। पेयजल की उपलब्धता की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति **अनुलग्नक-I** में दी गई है।
(ग) गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान दिनांक 12.12.2018 तक जारी एवं व्यय की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।
(घ) और (ड.) जी हाँ। इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) को अधिक प्रतिस्पर्धी, लक्ष्य आधारित और परिणाम उन्मुख बनाने के उद्देश्य से इसका पुनर्गठन किया है जिसमें सभी ग्रामीण परिवारों को नल जल आपूर्ति उपलब्ध कराने पर बल दिया गया है।

अनुलग्नक-I

दिनांक 17.12.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 670 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क्र. सं.	राज्य	पूर्ण रूप से कवर बसावटों की संख्या	आंशिक रूप से कवर बसावटों की संख्या	गुणवत्ता प्रभावित बसावटों की संख्या
1	अंडमान एवं निकोबार	324	76	0
2	आंध्र प्रदेश	34,604	13,392	367
3	अरुणाचल प्रदेश	3,210	4,287	28
4	असम	54,928	23,266	9,853
5	बिहार	70,615	35,685	3,918
6	छत्तीसगढ़	72,965	1,140	514
7	गोवा	345	2	0
8	गुजरात	35,996	0	0
9	हरियाणा	7,298	116	103
10	हिमाचल प्रदेश	43,086	10,183	0
11	जम्मू एवं कश्मीर	9,290	6,476	12
12	झारखंड	1,19,022	270	540
13	कर्नाटक	23,120	35,862	792
14	केरल	6,052	15,141	327
15	मध्य प्रदेश	1,27,298	0	150
16	महाराष्ट्र	89,427	9,912	194
17	मणिपुर	2,133	829	0
18	मेघालय	3,982	5,991	7
19	मिजोरम	487	231	0
20	नागालैंड	735	711	4
21	ओडिशा	1,54,385	133	2,495
22	पुडुचेरी	153	113	0
23	पंजाब	10,529	1,361	3,148
24	राजस्थान	59,070	43,975	18,481
25	सिक्किम	830	1,246	0
26	तमिलनाडु	96,033	3,980	1
27	तेलंगाना	14,543	9,456	360
28	त्रिपुरा	4,935	1,361	2,427
29	उत्तर प्रदेश	2,56,468	2,176	1,374
30	उत्तराखंड	22,781	16,515	15
31	पश्चिम बंगाल	56,574	32,570	16,525
	कुल	**13,81,218**	**2,76,456**	**61,635**

अनुलग्नक-II

दिनांक 17.12.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 670 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक (राशि करोड़ रुपए में)

	वित्तीय वर्ष	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19	
क्र.सं.	राज्य	रिलीज	व्यय	रिलीज	व्यय	रिलीज	व्यय	13.12.2018 तक रिलीज	व्यय
1	अंडमान एवं निकोबार	0.16	0	0.22	0	0	0	0.31	0
2	आंध्र प्रदेश	170.05	190.6	204	157.38	233.09	267.03	103.87	97.39
3	अरुणाचल प्रदेश	65.4	66.23	92.84	95.71	63.08	62.93	66.65	41.64
4	असम	277.58	216.19	348.06	203.09	474.8	387.2	202.01	157.01
5	बिहार	202.73	295.38	373.81	473.29	355.6	216.21	234.84	50.78
6	छत्तीसगढ़	60.83	64.64	84.28	65.66	49.84	49.89	48.19	32.64
7	गोवा	1.66	0	1.19	3.35	0	1.83	1.67	1.4
8	गुजरात	229.46	265.75	278.5	265.16	290.86	315.14	163	119.69
9	हरियाणा	122.65	149.07	111.53	114.2	88.82	87.34	40.94	56.55
10	हिमाचल प्रदेश	58.77	65.29	83.31	64.73	101.85	129.42	85.43	59.88
11	जम्मू एवं कश्मीर	192.12	202.72	225.14	219.94	325.33	344.86	154.53	118.36
12	झारखंड	132.09	133.7	131.74	157.89	209.09	171.47	66.48	73.3
13	कर्नाटक	278.08	349.52	343.72	339.83	365.81	272.77	174.87	200.16
14	केरल	48.05	64.45	75.22	74.21	95.16	95.53	84.86	66.22
15	मध्य प्रदेश	193.73	381.15	232.26	212.48	135.51	163.35	175.41	160.34
16	महाराष्ट्र	330.88	567.02	404.45	412.32	282.47	187.84	239.06	112.57
17	मणिपुर	27.92	43.44	39.38	18.87	66.25	68.3	37.73	47.5
18	मेघालय	31.24	30.92	40.42	49.29	85.91	87.37	36.05	26.57
19	मिजोरम	17.32	23.16	24.49	24.82	46.1	25.93	19.25	34.31
20	नागालैंड	34.53	61.9	36.84	36.2	17.88	18.77	17.36	17.36
21	ओडिशा	103.19	163.61	134.96	100.14	83.59	93.48	77.5	71.97
22	पुडुचेरी	0	0	0.29	0	0	0	0	0
23	पंजाब	42.79	36.57	51.89	53.56	173.29	103.64	73.51	71.79
24	राजस्थान	526.75	480.21	1,072.92	681.21	714.24	728.81	508.52	395.65
25	सिक्किम	12.05	12.49	19.42	15.21	17.51	11.6	10.89	16.67
26	तमिलनाडु	150.35	154.12	174.68	175.08	185.1	191.4	90.5	88.96
27	तेलंगाना	97.71	106.42	133.09	111.89	843.56	592.47	90.34	300.62
28	त्रिपुरा	31.68	39.97	43.73	38.73	83.93	42.77	27.59	45.89
29	उत्तर प्रदेश	490.31	646.46	621.95	639.54	472.52	616.77	499.59	376.43
30	उत्तराखंड	60.06	98.18	71.86	99.69	110.28	138.2	49.58	54.59
31	पश्चिम बंगाल	216.85	288.75	418.97	423.68	996.68	599.45	788.29	349.35
Total		**4,206.99**	**5,197.91**	**5,875.16**	**5,327.15**	**6,968.15**	**6,071.77**	**4,168.82**	**3,245.59**

(स्रोतः फॉर्मेट डी-1)